

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बगैश्वर में गुरुङ-कौसानी मोटर मार्ग से द्यूरीराड़ा होते हुए कपलेखर तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि.मी. के निर्माण में प्रस्तावित होने वाली 1.4875 हे० के दुगुने अर्थात् 2.975 हे० में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना।

- 1 परियोजना का नाम- गुरुङ-कौसानी मोटर मार्ग से द्यूरीराड़ा होते हुए कपलेखर तक लिंग मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी०
 2 वृक्षारोपण स्थल का नाम- ग्राम ~~कौसानी~~ लहसोत कपकोट सिविल सोयम भूमि - क्षेत्रफल 2.975 हे०
 3 रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 2.975 x 1100 = 3273 पौधे
 4 रोपित की जाने वाली प्रजाति - हरद, काँचला, बहेड़, बाज, फल्यांट, कपैसल, भीमल, पीछा आदि।

क्र.स.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	2.975	97.00	288.58
2	स्थल सफाई एवं झाड़ू कटान।	2.975	584.00	1737.40
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य अर्थात् (10 हे० को आधार मानकर)	2.975	7750.00	23056.25
4	कुली टीकात निर्माण प्रति हे० 84 घण्टी० औसत	250.00	315.00	78750.00
5	गड़दा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	2.975	7.33	21.81
6	निरीक्षण बटिया	2.975	485.00	1442.88
7	पौधों का मूल्य	3273	5.89	19277.97
8	जीपार टैज कराई		LS	400.00
1- प्रथम चरण का योग				124974.88
1	गड़दा भरण (0.30 x 0.30x 0.45)	3273	1.15	3763.95
2	पौधों की जीन्ता द्वितीय वर्ष।	3273	1.15	3763.95
3	पौध दुलान कार्य (25 % नवी तथा 75 % दैन पौध रोपण तथा 25 कि०मी. वाहन व 3 कि०मी० सारबोझ औसत पर)	3273	6.39	20914.47
4	पौधारोपण व व्यावसयकी	3273	2.06	6742.38
5	निर्वाह गुड़ाई व मलिन (को बार)	3273	0.76	2487.48
6	रसायनिक खाद व दवा प्रति एकड़ पौध।	3273	0.23	752.79
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 हे० पर)।	2.975	4768.00	14184.80
8	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घातकृत एवं जलनशील पदार्थों को हटाना।	2.975	350.00	1041.25
9	2.2 सुखा टीकात/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.975	225.00	669.38
10	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले इलाकों को जग्गिसुखा जागरूकता हेतु सप्रिक्षण तथा जग्गि सुखा में उत्पलेखनीय कार्य हेतु व्यक्तिगत/ समितियों को सरोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.975	400.00	1190.00
11	ब- प्रोत्साहन	2.975	200.00	595.00
12	अन्य व्यय जैसे साईन बोर्ड वर्ष में 2-3 बार फोटोबोर्ड, फील्ड स्तरीय कार्य का प्रचार प्रसार एवं दैर्घपुनोद्देशन आदि कार्य।	2.975	700.00	2082.50
2- द्वितीय चरण का योग				58187.95
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	2.975	7152.00	21277.20
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घातकृत एवं जलनशील पदार्थों को हटाना।	2.975	350.00	1041.25
3	2.2 सुखा टीकात/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.975	225.00	669.38
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले इलाकों को जग्गिसुखा जागरूकता हेतु सप्रिक्षण तथा जग्गि सुखा में उत्पलेखनीय कार्य हेतु व्यक्तिगत/ समितियों को सरोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.975	310.00	922.25
5	ब- प्रोत्साहन	2.975	200.00	595.00
3- तृतीय चरण का योग				24505.08
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	2.975	7152.00	21277.20
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घातकृत एवं जलनशील पदार्थों को हटाना।	2.975	350.00	1041.25
3	2.2 सुखा टीकात/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.975	225.00	669.38
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले इलाकों को जग्गिसुखा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा जग्गि सुखा में उत्पलेखनीय कार्य हेतु व्यक्तिगत/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.975	310.00	922.25
5	ब- प्रोत्साहन	2.975	200.00	595.00
4- चतुर्थ चरण का योग				24505.08
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	2.975	7152.00	21277.20
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घातकृत एवं जलनशील पदार्थों को हटाना।	2.975	200.00	595.00
3	2.2 सुखा टीकात/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.975	150.00	446.25
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले इलाकों को जग्गिसुखा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा जग्गि सुखा में उत्पलेखनीय कार्य हेतु व्यक्तिगत/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.975	310.00	922.25
5	ब- प्रोत्साहन	2.975	200.00	595.00
5- पंचम चरण का योग				23835.70

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	2.975	7152.00	21277.20
2	2.1 कृषारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे यातकृत एवं जलनशील पदार्थों को हटाना।			
3	2.2 सुरक्षा दीवार/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर गूटी साफ करना।	2.975	350.00	1041.25
4	2.3 कृषारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को जमिन्दारों/ जायकतदारों हेतु प्रशिक्षण तथा जमिन्दारों में उत्प्रेरणीय कार्य हेतु व्यक्तिगत/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.975	225.00	669.38
		2.975	310.00	922.25
5	ब- प्रोत्साहन	2.975	200.00	595.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठ्य वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	2.975	7152.00	24505.08
2	2.1 कृषारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे यातकृत एवं जलनशील पदार्थों को हटाना।			21277.20
3	2.2 सुरक्षा दीवार/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर गूटी साफ करना।	2.975	350.00	1041.25
4	2.3 कृषारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को जमिन्दारों/ जायकतदारों हेतु प्रशिक्षण तथा जमिन्दारों में उत्प्रेरणीय कार्य हेतु व्यक्तिगत/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.975	225.00	669.38
		2.975	310.00	922.25
5	ब- प्रोत्साहन	2.975	200.00	595.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	2.975	7152.00	24505.08
2	2.1 कृषारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे यातकृत एवं जलनशील पदार्थों को हटाना।			21277.20
3	2.2 सुरक्षा दीवार/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर गूटी साफ करना।	2.975	350.00	1041.25
4	2.3 कृषारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को जमिन्दारों/ जायकतदारों हेतु प्रशिक्षण तथा जमिन्दारों में उत्प्रेरणीय कार्य हेतु व्यक्तिगत/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.975	225.00	669.38
		2.975	310.00	922.25
5	ब- प्रोत्साहन	2.975	200.00	595.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	2.975	7152.00	24505.08
2	2.1 कृषारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे यातकृत एवं जलनशील पदार्थों को हटाना।			21277.20
3	2.2 सुरक्षा दीवार/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर गूटी साफ करना।	2.975	350.00	1041.25
4	2.3 कृषारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को जमिन्दारों/ जायकतदारों हेतु प्रशिक्षण तथा जमिन्दारों में उत्प्रेरणीय कार्य हेतु व्यक्तिगत/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.975	225.00	669.38
		2.975	310.00	922.25
5	ब- प्रोत्साहन	2.975	200.00	595.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	2.975	7152.00	24505.08
2	2.1 कृषारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे यातकृत एवं जलनशील पदार्थों को हटाना।			21277.20
3	2.2 सुरक्षा दीवार/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर गूटी साफ करना।	2.975	350.00	1041.25
4	2.3 कृषारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को जमिन्दारों/ जायकतदारों हेतु प्रशिक्षण तथा जमिन्दारों में उत्प्रेरणीय कार्य हेतु व्यक्तिगत/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.975	225.00	669.38
		2.975	310.00	922.25
5	ब- प्रोत्साहन	2.975	200.00	595.00
	महायोग (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठ्य + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम वर्ष)			24505.08
				378534.05
				378534.00

वन क्षेत्र अधिकारी
उपनिवेश अधिकारी
उपनिवेश अधिकारी

उपनिवेश अधिकारी
उपनिवेश अधिकारी
उपनिवेश अधिकारी

(कम से कम तीन लाख अक्षरों पर आधारित होना चाहिए)

उपनिवेश अधिकारी
उपनिवेश अधिकारी
उपनिवेश अधिकारी